रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938
No. 142] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 25-सीए(107)/2004.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने श्री दीपक मेहता (सदस्यता सं. 074240), चार्टर्ड एकाउंटेंट, दुकान 23, तीसरा डी रोड, मोटर मर्चेंट के पीछे, सरदारपुरा, जोधपुर-342001 को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (8) के अर्थान्तर्गत आने वाले वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है। तत्पश्चात्, उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन उक्त श्री दीपक मेहता को पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् संस्थान की परिषद् ने यह आदेश किया है कि उनके नाम को दो (2) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। श्री दीपक मेहता ने अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय, राजस्थान के समक्ष एसबी सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 700/2009 फाइल करके परिषद् द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 31.01.2011 के निर्णय द्वारा आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया था और नाम हटाए जाने की शास्ति को फटकार की शास्ति से प्रतिस्थापित किया था। उसके पश्चात्, आईसीएआई ने राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष इजाजत याचिका, जिसका संख्यांक 1883 था, द्वारा एक अपील फाइल की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13.02.2015 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आरोपित आदेशों को स्थगित कर दिया था और अपील को स्वीकार किया था तथा साथ ही श्री दीपक मेहता के नाम को तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह

अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री दीपक मेहता (सदस्यता सं. 074240) का नाम तारीख 25.04.2016 से तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

[विज्ञापन-III/4/असा./26]

वी. सागर, सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 25-CA(107)/2004.—In terms of the provisions of Section 21(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 Shri Deepak Mehta, (Membership No. 074240) Chartered Accountant, Shop 23, 3rd D Road, Behind Motor Merchant, Sardarpura, Jodhpur-342 001 has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (8) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Deepak Mehta, has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of two (2) years. Shri Deepak Mehta challenged the Order passed by the Council of the Institute by filing S.B. Civil Miscellaneous Appeal no.700/2009 before High Court of Judicature, Rajasthan. The Hon'ble High Court of Rajasthan by its judgement dated 31.01.2011 partly allowed the appeal, by substituting the penalty of removal of name with the penalty of reprimand. Thereafter, the ICAI filed an appeal by way of Special Leave Petition bearing no. 1883 against the Order of Hon'ble High Court of Rajasthan, before the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court vide order dated 13.02.2015, set aside the impugned High Court Order and allowed the appeal, ordering for removal of the name of Shri Deepak Mehta from the Register of Members for a period of three (3) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said Shri Deepak Mehta (Membership No. 074240) shall stand removed from the Register of Members for a period of three (3) months with effect from 25.04.2016.

[ADVT-III/4/Exty./26]

V. SAGAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.